न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 13ए राजस्थान उपनिवेशन (Colonization) अधिनियम
प्रकरण संख्या 02/2018 (GCMS: 2018/00173)

साधु सिंह पुत्र श्री भोला सिंह जाति कम्बोज सिख आयु 66 वर्ष निवासी पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **कुलविन्द्र कौर** पत्नी देवेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 1 डीडी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **मनराज सिंह** पिसरान धन्ना सिंह जाति जटसिख
3. **जसपाल सिंह** निवासी गांव 1 डीडी तहसील पदमपुर
4. **रिछपाल सिंह** जिला श्रीगंगानगर
5. **तेजवंत कौर** पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी गांव 1 डीडी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. **देवेन्द्रपाल सिंह** पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गांव 1 डीडी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.06.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जगमोहन आहुजा एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थिति हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस दिनांक 02.06.2025 को सुनी गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 17.06.2025 को लिखित बहस पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 24 बीबी के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं. 01 ता 25 कुल 24.00 बीघा बारानी भूमि भोला सिह पुत्र नत्था सिंह द्वारा दिनांक 19.02.1968 को बिना मंजूरी बिना सनद जारी करवाये, बिना सात साल पूर्ण हुए, बिना खातेदारी लिये खरीदार के पक्ष में कर दिया गया, जिसकी बाबत खरीददार द्वारा इंतकाल करवाने की कोशिश की गई तो पटवारी द्वारा मिलीभगत करके इंतकाल दर्ज कर पेश किया गया। जिस पर गिरदावर [illegible] नोट लगाकर कि [illegible] मिलने से पहले ही यह रकबा बिना मंजूरी बेचान हुआ है, इसलिए इंतकाल खारिज करने योग्य के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि रिपोर्ट दिनाक 04.12.1978 को हल्का गिरदावर द्वारा की गई। इतना सब रिकार्ड पर होने के बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा मिलीभगत करके इसी इंतकाल को दिनांक 20.01.1980 को पंचायत में पेश करके ग्राम पंचायत 20 बी बी द्वारा इंतकाल तस्दीक करवा लिया गया। जो कि सरासर कानून की अवेहलना में तस्दीक किया गया है जो कि सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त रकबा की सनद क्रमांक 6422 दिनांक 17.09.1976 को जारी हुई है और सनद जारी होने से पूर्व यानि खातेदारी लेने से पूर्व रकबे का बेचान गैर कानूनी था और उस बेचान के आधार पर इंतकाल नहीं किया जा सकता था, उसके बावजूद भी इंतकाल तस्दीक किया गया, जो कानूनन गलत था।

उनका आगे यह भी कथन है कि इंतकाल से पूर्व यानि कि दिनांक 21.02.1968 को भोला सिंह की मृत्यु हो चुकी थी तो मरे हुए आदमी के नाम से इंतकाल कैसे तस्दीक हुआ और इंतकाल करने से पूर्व यह तथ्य ग्राम पंचायत के सामने था कि भोला सिंह की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वारिसान के सम्बध में रिपोर्ट लेनी चाहिए थी व सभी वारिसान को नोटिस दिया जाना जरूरी था जिसकी किसी भी प्रकार से पालना नहीं की गई। जबकि जिस इंतकाल को गिरदावर द्वारा खारिज किया गया था उसी इंतकाल की पुश्त पर सरपंच द्वारा तस्दीक करवा लिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त रकबा पहले महेन्द्र सिंह व तेजा सिंह वगैरा के द्वारा बिना मजूरी, बिना सनद जारी करवाये व सात साल पूर्ण हुए खरीदा गया था। इसके अलावा भोला सिंह की मृत्यु वर्ष 1968 में हो गयी थी, उसकी मृत्यु के [illegible] बिल बना था जिसके फर्जी कागजात बनाकर व फर्जी [illegible] की मृत्यु के पश्चात् उठाया गया और राजस्थान सरकार से [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त भूमि महेन्द्र सिंह वगैरा द्वारा आगे कुलविन्द्र कौर व मनराज सिंह वगैरा को विक्रय कर दी गई और मौका पर वे ही काबिज है इसलिए उनको प्रतिवादी बनाया गया है। सभी बेचान बिना मंजूरी कानून की अवेहलना में हुए इसलिए उपरोक्त जमीन मुरब्बा नम्बर 10 के 24.00 बीघा काबिले खारिजे के है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुरब्बा नम्बर 10 के 24.00 बीघा का बेचान बिना मंजूरी, बिना संनद जारी किये, बिना सात साल पूर्ण होने के कारण उपरोक्त रकबा की अलांटमेंट जो भोला सिंह के नाम है, को खारिज किया जावे। पटवारी द्वारा उपरोक्त रकबा का इंतकाल तस्दीक भोला सिंह के नाम करने के लिए दिनांक 17.09.1977 को गिरदावर के पास भेजा गया था। जिस पर गिरदावर द्वारा दिनाक 04.12.1978 को स्पष्ट नोट लगाया है कि ''सनद दिनांक 17.09.1978 को जारी हुई है किन्तु यह रकबा दिनाक 19.02. 1968 को बेचान हो गया है इसलिए यह इंतकाल काबिले खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि रिकार्ड पर समस्त कार्यवाई आने के बावजूद हल्का पटवारी द्वारा खरीदार से मिलीभगत करके दिनांक 20.01.1980 को उपरोक्त इंतकाल ग्राम पंचायत 20 बी बी ए के सरपंच से तस्दीक करवा लिया गया। जबकि गिरदावर की रिपोर्ट स्पष्ट थी कि इंतकाल खारिज के काबिल है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चक 24 बीबी के मुरब्बा नम्बर 10 के 24.00 बीघा रकबा जो भोला सिंह को दिनांक 08.12.1961 को अलॉट हुआ है, कानून की अवहेलना होने के कारण खारिज करने योग्य है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी मई 2006 पेज 245 स्टेट बनाम श्रीमति जंगीर कौर वगैरा तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का न्यायिक दृष्टान्त 2010(1) डीएनजे राज. पेज 162 [illegible] सिंह बनाम स्टेट वगैरा निर्णय दिनांक 18.01.2010 की प्रति पेश की है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:09 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत अप्राथी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि चक 24 बी.बी. के मुरब्बा नं. 10 के 24 बीघा रकबा बारानी भोला सिंह पुत्र नत्था सिंह को दिनांक 08.12.1961 को अलॉट हुआ था। इस रकबे की सनद दिनांक 17.09.1976 को जारी हो चुकी है, सनद के जारी होने के बाद भूमि का इंतकाल किया गया है भोला सिंह द्वारा भूमि का बेचान करने के उपरान्त भूमि का इन्तकाल पंचायत द्वारा दिनांक 20.01.1980 को किया गया है, जो की सही है जिसकी अपील भी साधु सिंह उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो कि खारिज हो चुकी है। साधु सिंह द्वारा उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर उक्त शिकायत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो की खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि के आवंटन के तीन साल बाद अलॉटी खातेदार हो जाता है इसलिये बेचान विधिसंगत था एवं सनद अलॉटी के नाम से बनाई जाती है यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थना–पत्र इंतकाल की अपील की कॉपी कर उसे पेस्ट कर दिया गया है जबकि उक्त प्रकरण इंतकाल की अपील का नहीं है, इंतकाल की अपील का फैसला हो चुका है प्रार्थी की प्लीडिंग इंतकाल की अपील की है, प्रार्थी इंतकाल खारिज करवाना चाहता है तो उसे संभागीय आयुक्त के जाना चाहिए, उक्त आधार पर भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपास्त योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बेचान के 53 साल बाद पेश किया है, जो कि मियाद [illegible] है जो की चलने योग्य नहीं है जबकि रजिस्टर्ड दस्तावेजों के दोनों [illegible] पर साधु सिंह गवाह है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

साधु सिंह की इसकी बैयनामें की दिनांक से जानकारी है और आज 53 साल बाद शिकायत पेश की है, जो कि सद्भावी नहीं है जिस बैयनामे का प्रार्थी गवाह है उसी को आज 53 वर्ष बाद गलत कह रहा है प्रार्थी अपने आचरण से धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत एस्टोपल के सिद्धांत से बंधा है इस प्रकरण में एस्टोपल का सिद्धांत लागू होता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य सरकार ने विज्ञप्ति दिनांक 22.4.1991 के द्वारा धारा 13(1) के प्रावधान को हटा दिया गया था इसका अर्थ है कि विधि की पुस्तिका में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अलॉटी को दिनांक 17.9.1976 को सनद जारी कर दी गई है जिससे उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे एकबार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद धारा 13 की कार्यवाही नहीं चल सकती है तथा खातेदारी मिले हुए 48 साल का समय व्यतीत हो चुका है। खातेदारी मिलने के बाद धारा 13 व 14 कॉलोनाईजेशन की कार्यवाही नहीं चल सकती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भोला सिंह को भूमि दिनांक 08.12.1961 को अलॉट हुई थी। अलॉटी को तीन साल बाद ऑटोमेटिक खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, इस प्रकार भोला सिंह द्वारा किया गया बेचान सही था, भोला सिंह द्वारा समस्त किश्तों की राशि दिनांक 23.06.1965 तक जमा करवा दी थी इसलिए वह स्वतः ही खातेदार हो गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के पिता भोला सिंह थे, जिनके द्वारा भूमि का बेचान किया जा चुका है। इसलिए अब भूमि का टाईटल खरीददारों के पास चला गया है। खरीददारों द्वारा भी भूमि का आगे बेचान किया जा चुका है तथा [illegible] है। इसलिए प्रार्थी के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी साधु सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के द्धारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्को एवं संबंधित पत्रावली एवं तहसीलदार पदमपुर के प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2018 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं संबंधित विधि के प्रावधानो तथा माननीय राजस्व मण्डल के **उक्त न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी मई 2006 पेज 245 स्टेट बनाम श्रीमति जंगीर कौर वगैरा तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का न्यायिक दृष्टान्त 2010(1) डीएनजे राज. पेज 162 हरजीत सिंह बनाम स्टेट वगैरा निर्णय दिनांक 18.01.2010 का ससम्मान अवलोकन किया गया।**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि आवंटी भोला सिह पुत्र नत्था सिंह साकिन पदमपुर को दिनांक 08.12.1961 से चक 24 बीबी मु.नं. 10 का 23.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन हुआ है। आवंटी भोला सिंह द्धारा उक्त 23 बीघा भूमि का बेचान राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13(1) के अन्तर्गत जिला कलक्टर की बिना पूर्व अनुमति के जरिये रजिस्टर बैयनामा दिनांक 20.02.1968 को महेन्द्र सिंह धन्ना सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 1 डीडी पदमपुर को 11.10 बीघा एवं दिनांक 20.02.1968 को ही तेजा सिंह, मेहर सिंह, प्रेम सिंह, गमदूर सिंह, रणजीत सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 डीडी तहसील पदमपुर को 11.10 बीघा का गैरखातेदारी के दौरान आवंटन के सात साल के भीतर **(अर्थात आवंटन के 06 साल 2 माह के भीतर)** कर दिया गया। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए(1ए) के तहत गैरखातेदारी के दौरान गैरखातेदार द्धारा कृषि **भूमि के आवंटन के सात साल पश्चात किये गये अन्तरण** को 50,000 रू. प्रति मुरब्बा नहरी व 10,000 रू. प्रति मुरब्बा बारानी की दर से शमन शुल्क एवं 01.01.1993 से नियमन के लिए किये [illegible]दन पर नियमन शुल्क पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज [illegible] 42 [illegible] काश्तकारी अधिनियम के अधीन रहते हुए **नियमन करने का प्रावधा[illegible] है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:49:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि विवादग्रस्त भूमि का बेचान दिनांक 20.02.1968 को जरिये रजिस्टर बैयनामा गैरखातेदारी के दौरान आवंटी भोला सिंह द्वारा महेन्द्र सिंह, धन्ना सिंह पुत्र प्रीतम सिंह एवं तेजा सिंह, मेहर सिंह, प्रेम सिंह, गमदूर सिंह, रणजीत सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह जाति जटसिख निवासी निवासी 1 डीडी तहसील पदमपुर को **आवंटन के 6 साल 02 माह के भीतर ही** जिला कलक्टर की बिना पूर्व अनुमति के किया गया है। ऐसे बेचान जो आवंटन के सात साल के भीतर किये गये हो को, विधिमान्य घोषित करने के लिए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 में कोई संशोधन नही किया गया है।

इस प्रकार उपनिवेशन अधिनियम 1954 में आवंटन के सात साल के भीतर किये गये किसी गैरखातेदार द्वारा अन्तरण को विधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान न होने के कारण, इस प्रकार के अन्तरणो को नियमन शुल्क लेकर भी विधिमान्य घोषित नही किया जा सकता।

चूंकि आवंटी भोला सिंह पुत्र नत्था सिंह को चक 24 बीबी मुरब्बा नम्बर 10 का 23 बीघा का आवंटन दिनांक 08.12.1961 को किया गया था और उसके उसके द्वारा उक्त भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर बैयनामा दिनांक 20.02.1968 द्वारा महेन्द्र सिंह धन्ना सिंह पुत्र प्रीतम सिंह एवं तेजा सिंह, मेहर सिंह, प्रेम सिंह, गमदूर सिंह, रणजीत सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 डीडी तहसील पदमपुर को किया गया है जो आवंटन के सात साल के भीतर अर्थात आवंटन के 6 साल 02 माह के भीतर जिला कलक्टर की बिना पूर्व अनुमतति के किया गया है जो राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए(1ए) के तहत विधिमान्य योग्य नही है और माननीय राजस्व मण्डल के **न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी मई 20[illegible] [illegible]5 स्टेट बनाम श्रीमति जंगीर कौर वगैरा तथा माननीय राज0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का न्यायिक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दृष्टान्त 2010(1) डीएनजे राज. पेज 162 हरजीत सिंह बनाम स्टेट वगैरा निर्णय दिनांक 18.01.2010 के अनुसार भी नियमन योग्य नही है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर चक 24 बीबी मुरब्बा नम्बर 10 का 23.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि जो आवंटी भोला सिंह पुत्र नत्था सिंह साकिन पदमपुर द्वारा महेन्द्र सिंह, धन्ना सिंह पुत्र प्रीतम सिंह एवं तेजा सिंह, मेहर सिंह, प्रेम सिंह, गमदूर सिंह, रणजीत सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 डीडी तहसील पदमपुर को बेचान की गयी है, को राज्य पक्ष में अधिग्रहण की जाती है और तहसीलदार पदमपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्त 23.00 बीघा भूमि का कब्जा तुरन्त राज्य पक्ष में लिया जाकर पालना से सूचित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:09 IST
Reason: SelfAttested